न्यायालय : जिला एवम् अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय

व्यवहार न्यायालय, मुंगेर

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 835/2026

02.07.2026

आवेदक **शुभम कुमार** की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया। आवेदक को **जमालपुर थाना काण्ड संख्या 208/2023** अन्तर्गत **धारा 307/34 भादवि0 एवं 27 शस्त्र अधिनियम** में गिरफ्तारी की आशंका के कारण प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री राकेश कुमार एवं राज्य की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना।

02.07.26

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक द्वारा पूर्व में कोई नियमित अथवा अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। सूचिका सुमन कुमारी दिनांक 24.10.2023 को शाम 06:15 बजे अपने परिवार के साथ घर के बाहर बैठी थी, इसी दौरान सूरज कुमार, कुंदन कुमार पंती, चंदन कुमार तांती, बिट्टु कुमार उर्फ करणदीप कुमार, शुभम कुमार (आवेदक), राकेश कुमार कोड़्डा और अन्य अज्ञात लोग सूचिका के घर के बाहर आए और जोर –जोर से गाली गलौज करने लगे। गाली गालौज की आवाज सुनकर सूचिका का चचेरा भाई आकाश कुमार घर से बाहर आया, तब सूरज कुमार तांती ने पिस्तौल से गोली चलाई। गोली की आवाज सुनकर सूचिका के पिता गौतम तांती घर से बाहर आए तो उन पर भी गोली चला दिया, जिससे उनकी दाहिनी बांह में दो गोलिया लगी। सूचिका के पिता को ईलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र ले जाया गया। प्राथमिकी से प्रतीत होता है कि आवेदक अभियुक्त के खिलाफ किसी प्रकार का विशिष्ट आरोप नहीं बनता है। आवेदक अभियुक्त को इस वाद में अपशब्दों का प्रयोग करने के एक सामान्य और व्यापक आरोप के साथ घसीटा गया, जो धारा 504 भा0द0वि0 के दायरे में आता है। आवेदक अभियुक्त का इस वाद में कोई हाथ नहीं है, लेकिन उसका नाम दुर्भावनापूर्ण तरीके से इस मामले में घसीटा गया है। प्राथमिकी से यह भी स्पष्ट होता है कि सूचना देने वाले ने कथित घटना को अपने ऑखों से नहीं देखा था, लेकिन बाद में परामर्श के बाद यह झूठा और मनगढ़ंत मामला दर्ज कराया गया है। प्राथमिकी के आधार पर पर धारा 307 भा0द0वि0 एवं 27 शस्त्र अधिनियम का कोई मामला नहीं बनता है। आवेदक ने कोई अपराध नहीं किया है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। यदि आवेदक अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह फरार नहीं होगा। अतः आवेदक को जमानत पर रिहा करने की कृपा करें।

विद्वान सहायक अभियोजन पदाधिकारी के द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

लगातार

02.07.2026

उभयपक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे स्पष्ट है कि सह अभियुक्त चंदन कुमार एवं राकेश कुमार उर्फ कुड्डू की जमानत माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा क्रिमीनल मिस0 संख्या 20108/2024 दिनांक 02.04.2024 और क्रिमीनल मिस0 संख्या 34959/2024 सूरज कुमार तांती का तथा अग्रिम जामनत आवेदन संख्या 1720/2023 के द्वारा कुंदन कुमार तांती का विद्वान सत्र न्यायाधीश के द्वारा जमानत की सुविधा दी जा चुकी है। आवेदक अभियुक्त का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है और न ही उसपर सूचक को गोली मारने का स्पष्ट आरोप है। गोली चलाने का मुख्य आरोप सूरज कुमार तांती पर है, जिसकी जमानत हो गई है और आवेदक अभियुक्त के पास से किसी भी प्रकार के अवैध हथियार की बरामदगी भी नहीं है। ऐसी स्थिति में आवेदक अभियुक्त को जमानत की सुविधा दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः आवेदक अभियुक्त को मो0 10,000/– (दस हजार रूपये) रूपया के दो (02) समान राशि के प्रतिभूओं सहित निम्न शर्तों पर शपथपत्र दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

1. एक जमानतदार परिवार के सदस्य अथवा निकट संबंधी होंगे।

2.. शपथपत्र दाखिल करेंगे, जिसमें धारा 482 (2) बी0एन0एस0एस0 के शर्तो का पालन करेंगें तथा प्रत्येक तिथि को हाजिरी एवं पैरवी दाखिल करेंगे। यदि लगातार दो तिथियो तक अनुपस्थित रहेंगे तो उनका अभियोजन के आवेदन पर उनका बंधपत्र खंडित किया जा सकता है।

3. इस आदेश के प्राप्ति के 20 (बीस) दिनों के अंदर संबंधित विद्वान न्यायिक दण्डाधिकारी के न्यायालय में बंधपत्र दाखिल करेंगे।

कार्यालय आदेश की प्रति अविलंब संबंधित न्यायालय में भेंजे।

लेखापित

(विकास मिश्र)

जिला एवम् अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय

व्यवहार न्यायालय, मुंगेर

दिनांक 02.07.2026